

राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग

क्रमांक-प.2(4)सि-5/2007/गर्ल-गा

जयपुर, दिनांक 16/9/11

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर;
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राज. बीकानेर;
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राज. जयपुर।

विषय:- राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत राजकीय सेवा में समायोजित कार्मिकों हेतु नवीन मद में वित्तीय प्रावधान प्राप्त।

प्रसंग:- इस विभाग का समस्त पत्र दिनांक 5.8.2011

महोदय,

विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत पुनः लेख है कि राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत और सहायता पत्र क्रमिक संख्याओं में क्रमशः जिन कार्मिकों को राजकीय सेवा में रिक्त पदों के विरुद्ध चुलाई, 2011 से समायोजित किया गया है उनके वेतन भत्तों का भुगतान वर्तमान में जहाँ पर वे रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजित/पदस्थापित किये गये हैं उन रिक्त पदों के विद्यमान बजट मद में उपलब्ध बजट से उनके वेतन भत्तों का भुगतान करने की व्यवस्था करें तथा जहाँ पर पद रिक्त नहीं है उन कार्मिकों के वेतन का भुगतान उसी ब्लॉक/जिले में रिक्त पदों के विद्यमान बजट मद में उपलब्ध बजट प्रावधान से किया जाना सुनिश्चित करें। शेष बातें यथावत लागू हैं।

भवदीय,

समस्त उप सचिव

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-3/25233(1)/2011-12/35 दिनांक :- 19-9-2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
2. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि राज्य सरकार के उपर्युक्त पत्रानुसार कार्यवाही करने हेतु सभी अधिनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों को अपने स्तर पर सूचित करावे। साथ ही इन समायोजित हुए कार्मिकों के लिये 89-नवीन अंशदायी पेंशन योजना में यदि राशि शेष नहीं हो तो राशि आवंटन हेतु बजट मदवार एवं विद्यालयवार प्रस्ताव तीन दिवस में भिजवावे।
3. सहायक लेखाधिकारी, अनुदान अनुभाग, कार्यालय हाजा।
4. बजट अनुभाग के प्रभाग बी-1, बी-2, बी-4, बी-5।
5. रक्षित पत्रावली।
6.

मुख्य लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,